तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज शिवप्रकाश शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति संभागीय आयुक्त), जयपुर अपील संख्या जीसीएगएस नम्बर 2025/1351	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.06.2025	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ 7(5)(47) RTI /प्रथम अपील/05933/2024/1548 दिनांक 19.06.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आर.टी.आई आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं कर पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, राज0 जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जो कि पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, राज0 जयपुर विभाग में दिनांक 01.05.25 को प्राप्त हुआ है। जो कि इस कार्यालय में निर्धारित 5 दिवस की अवधि उपरान्त 07.05.2025 को अन्तरित किया गया। पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 103 दिनांक 07.05.25 में अंकित किया गया है कि आवेदक को बिन्दू संख्या 2,4,5,6,8 की नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराते हुये इस कार्यालय को भी अवगत करावें। उक्त विभाग द्वारा आवेदक की अपूर्ण फोटो प्रति ही इस कार्यालय को भिजवाई गई थी जिसमें बिन्दू संख्या 1 से 5 अंकित थे बिन्दू संख्या 6, 8 इस कार्यालय को नही भिजवाये गये थे। जिस बाबत् विभाग को पत्रांक 1367 दिनांक 21.05.2025 से बिन्दू संख्या 6 , 8 से संबंधित पृष्ठ की प्रति भिजवाने हेतु लिखा गया था जिसका प्रत्युत्तर आदिनांक तक नहीं दिया गया है। इस प्रकार आवेदक के आवेदन का शेष भाग आदिनांक प्राप्त नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि बिन्दू संख्या 6 , 8 मे क्या सूचना चाही गई है। अतः आवेदक को प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र क्रमांक के बिन्दू संख्या 3 के अनुसार "यदि प्राप्त प्रकरण में एक या कुछ बिन्दु आपके विभाग से संबंधित है तथा शेष बिन्दू अन्य विभागों से संबंधित है तो आपके विभाग की सूचना आवेदक को दी जावे तथा शेष बिन्दू हेतु आवेदक को संबधित विभागों से मांगने हेतु पृथक-पृथक आवेदन करने हेतु सूचित किया जावे। अतः उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी के अनुसार पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग से अन्तरित होकर प्राप्त आवेदक की सूचना की अपूर्ण फोटो प्रति ही इस कार्यालय को प्राप्त हुई है जिसमें बिन्दू संख्या 1 से 5 अंकित थे। अतः अपूर्ण प्रति नहीं होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं हो सका है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि आवेदक द्वारा प्रथम अपील के साथ आवेदन के बिन्दू संख्या 1 से 10 की स्पष्ट प्रति भी सलग्न की है। जिस बाबत् आवेदक को सूचना दिया जाना संभव है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध उक्त वांछित सूचना निशुल्क उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया । संभागीय आयुक्त (प्रथम) संभागीय आयुक्त, जयपुर	